आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

शस्त्र अपील वाद सं0–184/2024

विजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर, पिता–शिवजी सिंह।

बनाम्

बिहार सरकार।

उपस्थिति/प्रतिनिधित्व :–

अपीलकर्त्ता की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, राकेश रंजन श्रीवास्तव एवं अंकुर प्रकाश सिन्हा।

सरकार की तरफ से :–विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण, छपरा।

आदेश

अनुसूची 14 फार्म संख्या 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
09.10.2024 21.10.2024	**प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद, जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के आदेश ज्ञापांक–110/श०, दिनांक–21.03.2017** को पारित आदेश द्वारा अपीलकर्त्ता विजय कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ठाकुर के शस्त्र अनुज्ञप्ति सं०–07/98 को रद्द किये जाने के आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर दायर किया गया है। **विद्वान अपर लोक अभियोजक** द्वारा बताया गया कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा का प्रश्नगत आदेश दिनांक–21.03.2017 को पारित किया गया है, जबकि अपीलकर्त्ता द्वारा लगभग 07 वर्ष 06 महीना की अवधि के पश्चात् विलम्ब हेतु बिना किसी समुचित कारण के इस स्तर पर अपीलवाद लाया गया है, जबकि **Arms Act, 1959** के **नियम–18 एवं Arms Rules, 2016 के नियम–107** के तहत 30 दिनों के अंदर अपीलवाद दायर करने का प्रावधान है। याचिका के अवलोकन से तथा वाद की सुनवाई के क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मढौरा थाना काण्ड सं०–108/2007 में अपीलकर्त्ता दिनांक–01.01.2016 से दिनांक–31.03.2023 तक न्यायिक हिरासत में रहें है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि **अपीलकर्त्ता आपराधिक पृष्ठभूमि** से जुड़े व्यक्ति है। साथ ही जिला	

WEB COPY NOT OFFICIAL

पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा दिनांक–21.03.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध इतनी लंबी अवधि (लगभग 07 वर्ष 06 माह) जो कि नियमानुसार अपील हेतु तय समय–सीमा का लगभग 91 गुणा है, के पश्चात् अपीलवाद दायर किये जाने का कोई ठोस आधार याचिका में अथवा बहस के दौरान अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से प्रस्तुत शस्त्र अपीलवाद को ग्रहण के बिन्दु पर **खारिज** किया जाता है।

अपीलकर्त्ता को यदि खतरे की आशंका है एवं वे शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु पात्र है तो विधिवत् प्रक्रिया के अनुसार नये शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकार के यहाँ कर सकते है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL